



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19075

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3975 वर्ष 2025

सुभाष

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: इंद्र जीत यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अजय कुमार बरनवाल, तथा प्रतिवादी-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :-

“(ए) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित किया जाए कि वह दिनांक 25.11.25 की शिकायत/प्रार्थना-पत्र, जो उसे पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया है, के संबंध में आराजी संख्या 178 एम/0.161 हेक्टेयर के क्षेत्रफल 0.061 के संबंध में पुनः जांच कराए।

(बी) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित किया जाए कि वह प्रतिवादी संख्या 6 के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करते हुए, आराजी संख्या 178 एम/0.161 हेक्टेयर के क्षेत्रफल 0.061 हेक्टेयर से उसे बेदखल करे, जो राजस्व अभिलेखों में लोक उपयोग की भूमि के रूप में ‘बंजर’ दर्ज है, ऐसी अवधि के भीतर जो यह माननीय न्यायालय वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में उचित एवं समीचीन समझे।”

3. इस न्यायालय के दिनांक 6.1.2026 के आदेश के अनुपालन में, उपजिलाधिकारी, बदलापुर, जौनपुर द्वारा प्रेषित दिनांक 27.1.2026 की निर्देश-पत्री अभिलेख पर ली जाती है।

4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने उक्त निर्देश-पत्री के आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड के क्षेत्रफल के एक भाग के संबंध में निजी प्रतिवादी संख्या 6 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में दिनांक 16.10.2024 को बेदखली

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं हर्जाना का आदेश पारित किया जा चुका है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत अपील संख्या 382 सन् 2025 लंबित है; अतः उक्त लंबित अपील के निस्तारण के पश्चात प्राधिकारियों द्वारा समुचित कार्यवाही की जाएगी।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/जिलाधिकारी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत लंबित अपील संख्या 382/2025 का संबंधित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, विधि के अनुसार, शीघ्रतापूर्वक निर्णय करें।

जनवरी 28, 2026

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

सी. प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।